रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941
No. 414] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2019

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2019

सं. एल-3(2)/आरईजीएलएन-जन.(संशो.)/2019/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2019 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में,--

(1) विनियम 10 के उपविनियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घक) सूचना देने वाले व्यक्ति और पक्षकारों के बीच सूचना की विषय-वस्तु के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण, कानूनी प्राधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित मुकदमे या विवाद के ब्यौरे ;";

(2) विनियम 35 में,--

(क) उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान करना समीचीन है, वहां आयोग सूचना देने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसकी पहचान का प्रकटन करेगा ।";

(ख) उपविनियम 10 में, "पक्षकार गोपनीय संव्यवहार के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "पक्षकार, महानिदेशक द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अनधिक अवधि के भीतर गोपनीय संव्यवहार के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) विनियम 49 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्येक सूचना के साथ निम्नानुसार फीस के संदाय संबंधी सबूत को संलग्न किया जाएगा,--

(क) किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) की दशा में 5,000 (पांच हजार) रुपए, या

(ख) किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या उपभोक्ता संगम या किसी सहकारी सोसाइटी या न्यास की दशा में 10,000 (दस हजार) रुपए, या

(ग) किसी फर्म (स्वामित्व, भागीदारी अथवा सीमित दायित्व भागीदारी सहित) या ऐसी कंपनी (जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति वाली कंपनी भी है), जिसकी पूर्व वर्ष में आवर्त दो करोड़ रुपए तक की थी, 40,000 (चालीस हजार) रुपए, या

(घ) किसी फर्म (स्वामित्व, भागीदारी अथवा सीमित दायित्व भागीदारी सहित) या ऐसी कंपनी (जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति वाली कंपनी भी है), जिसकी पूर्व वर्ष में आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक की थी, 1,00,000 (एक लाख) रुपए, या

(ङ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) के अंतर्गत न आने वाले मामलों की दशा में 5,00,000 (पाँच लाख) रुपए"।

पी. के. सिंह, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./303/19]

टिप्पण : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. आर-40007/6/आरईजी-जन./अधि./04/सीसीआई, तारीख 21 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए थे, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनि.-जन.(संशो.)2009-2010/सीसीआई, तारीख 20 अगस्त, 2009; सं. एल-3(2)/विनि.-जन.(संशो.)2009-2010/सीसीआई, तारीख 20 अक्तूबर, 2010; सं. एल-3(2)/विनि.-जन.(संशो.)2009-2010/सीसीआई, तारीख 31 मार्च, 2011; सं. एल-3(2)/विनि.-जन.(संशो.)2011/सीसीआई, तारीख 8 नवंबर, 2011; सं. एल-3(2)/विनि.-जन.(संशो.)2013/सीसीआई, तारीख 7 अक्तूबर, 2013 और सं. एल-3(2)/विनि.-जन.(संशो.) 2018/सीसीआई, तारीख 6 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2019

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2019

No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt.)/2019/CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009,--

(1) in regulation 10, in sub-regulation (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :-

"(da) Details of litigation or dispute pending between the informant and parties before any court, tribunal, statutory authority or arbitrator in respect of the subject matter of information ;";

(2) in regulation 35,-

(a) after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where it is expedient to disclose the identity of the informant for the purposes of the Act, the Commission shall do so after giving an opportunity to the informant of being heard.";

(b) in sub-regulation (10), after the words *"regarding confidential treatment"* the following words and figures shall be inserted, namely:-

"within a period not exceeding 30 days from the receipt of the order passed by the Director General.";

(3) in regulation 49, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(1) Each information received under clause (a) of sub-section (1) of section 19 of the Act from any person shall be accompanied by proof of having paid the fee as under,—

(a) rupees 5,000 (five thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or

(b) rupees 10,000 (ten thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or

(c) rupees 40,000 (forty thousand) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one person company) having turnover in the preceding year upto rupees two crore, or

(d) rupees 1,00,000 (one lac) in case of firm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and upto rupees 50 crore

(e) *rupees 5,00,000 (five lacs) in the cases not covered under clause (a) or (b) or (c) or (d).".*

P. K. SINGH, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./303/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification number R-40007/6/ Reg- General/ Noti/ 04- CCI, dated the 21st day of May, 2009 and subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notifications number L-3(2)/ Regln.-Gen. (Amdt.) 2009-10/CCI dated the 20th August, 2009; number L-3(2) Regln.- Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 20th October, 2010; number L-3(2) Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 31st March, 2011; No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI dated the 8th November, 2011; number L-3 (2)/RegIn. Gen.Amdt./2013/CCI dated the 7th October, 2013 and number L-3 (2)/RegIn.- Gen.(Amdt.)/2018/CCI dated the 6th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.21 22:17:26 +05'30'